फिल्मों के संबंध में अनेक अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन फिल्मों को एक बार 'अयोग्य' घोषित कर दिया गया था, उन्हें भी अब दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि फिल्मों को वर्णानुक्रम से दिखाए जाने का निर्णय किया गया था परन्तु इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा फिल्मों का नियमित प्रसारण सुनिश्चित करने हेतु अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) दूरदर्शन के अनुसार जो फीचर फिल्में दूरदर्शन की अपेक्षाएं पूरी करती हैं, उन्हें प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख/अनुमोदित होने की तारीख के क्रमानुसार प्रसारित किया जाता है । तथापि, प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों को सामान्यतया वर्णक्रमानुसार राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है ।

(घ) और (ङ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

दूरदर्शन धारावाहिक "चाणक्य" में कटौती किया जाना

526. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :**
श्री बेकल "उत्साही" :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले दूरदर्शन हिन्दी धारावाहिक "चाणक्य" की 52 कड़ियों का निर्माण और प्रसारण करने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब इस धारावाहिक की कड़ियों की संख्या घटा दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ऐसी कोई नीति बनाने का विचार रखती है जिसके अधीन पहले एक बार जितनी कड़ियों के प्रसारण की अनुमति दे दी गई हो उसमें न तो कोई बढ़ोतरी की जा सकेगी और न ही कोई कटौती ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) जी हां । 52 कड़ियों के लिए अनुमोदन किया गया था । किन्तु यह सक्षम प्राधिकारी के विधिवत अनुमोदन के बिना किया गया था । बाद में निर्माता से विचार-विमर्श करने पर इस धारावाहिक को 47 कड़ियों में पूरा करने की अनुमति दी गयी है ।

(घ) यदि धारावाहिकों की कड़ियां बढ़ाने की अनुमति दी जाती हैं तो ऐसा प्रत्येक प्रस्ताव की गुणवत्ता अर्थात् उसकी कहानी, विषयवस्तुपरख मूल्य दर्शकों में धारावाहिक की लोकप्रियता आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है ।

(ङ) और (च) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

T.V. Station at Vijayawada

527. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state *i*

(a) whether it is a fact, that foundation stone was laid to consfruct

a T.V. Studio at Vijayawada ; if so, when ;

(b) what progress has bsen made in this behalf ; and

(c) by when it is expected to be completed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS) : (a) Yes, Sir. Foundation stone of the TV Studio Centre at Vijayawada was laid in January, 1990.

(b) and (c) The scheme for "'Setting up of TV Studio Centre at Guitural Centres" which, *inter alia,* included a project for setting up of a studio centre at Vijayawada is presently under review.

Agitation by Doordarshan and AIR employees

528. SHRI MURUDHAR GHANDRAKANT BHANDARE : Will the Minister oflNFORMA-TION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the staff artists of All India Radio and Doordarshan have been agitating since October last ;

(b) if so, the details of their demands ; and

(c) the efforts so far made to resolve the issues and to reach a settlement in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING KUMARI GIRUA VYAS) : (a) and (b) The Staff Artists of All India Radio and Doordarshan had been agitating since Decemfter' 91. They demanded rationalisation/revision of fee scales of the erstwhile categories of Staff Artists/Artists and their induction into the Indian Broadcasting (Programme) Service.

(c) The Government is genuinely concerned about a reasonable solu-(ion to various demands of the Association. After detailed discussion with the representatives of the Association, the agitation has since been withdrawn.

Sex and violence in the films

529. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large section of Indian public stand agitated and disheartened due to lavish import of sex and violence in Hindi films during recent years ; and

(b) if so, what measures Government propose to take to restrict production of such films in the country ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRUA VYAS) : (a) and (b) Feelings about increasing of sex and violence in films have been vioced from time to time at different fora. Public exhibition of any films is legal only if it is duly certified by the Central Board of Film Certification under the Cinematograph Act, 1952. Production of films is predbminantly in the private sector and action at Government level is possible only at the time of certifiction. In order to make the certification more meaningful revised Guidelines have been issued on 6th December, 1991. For dealing with sex and violence in films more effectively, these Guidelines stipulate that the Board shall *inter alia* ensure that :

(i) pointless or avoidable scenes and violence, cruelty and horror, scenes of violence primarily intended to provide entertainment and such scenes as may have the effect of desensitising or dehumanising people are not shown